

परिपत्र / CIRCULAR

संदर्भ: क्रमांक 1101041205 ACAD-DHE14675482025, दिनांक 29.08.2025, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल (प्रति संलग्न), आदेश के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये विशेष CLC चरण दिनांक 01 सितम्बर 2025 से 06 सितम्बर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस चरण में प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर केवल रिक्त सीटों पर दिया जाएगा।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR), सीहोर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी (PGDRP), आरसीआई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध, में 3 रिक्त सीटों पर प्रवेश उपलब्ध है।

इच्छुक एवं पंजीकृत विद्यार्थी संस्थान में सीधे उपस्थित होकर आवश्यक शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

Note: सभी प्रवेश 06 सितम्बर 2025 को सायं 5:00 बजे तक ही मान्य होंगे।

Sd/

निदेशक

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

दिनांक 29-08-2025

// आदेश //

क्रमांक 1/0104/2025-ACAD-DHEI/467546/2025 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर **1 सितम्बर से 6 सितम्बर 2025** तक विशेष सीएलसी चरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह प्रवेश का अंतिम चरण है जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

- समस्त प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेंगे।
- यह सुविधा केवल रिक्त सीटों के लिए होगी।
- रिक्त सीटों की जानकारी विद्यार्थी के लॉगिन एवं महाविद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होंगी।
- पंजीकृत विद्यार्थी सम्बंधित महाविद्यालय में सीधे प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है वहां सीट रिक्त होने पर सीधे महाविद्यालय पहुँच कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।
- प्रवेश के विषय में समस्त जानकारी/समस्या हेतु सम्बंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर संपर्क करें।
- नवीन पंजीकृत विद्यार्थी केवल एक कॉलेज में पंजीयन कर सकेंगे। सम्बंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन उपरांत शुल्क जमा कर उसी दिन प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- मेजर माइनर के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पात्रता विश्विद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। समस्त सम्बंधित प्राचार्य विश्विद्यालय से समन्वय कर पात्रता निर्धारण की कार्यवाही करेंगे।
- उक्त प्रक्रिया **1 सितंबर से 6 सितंबर 2025** तक आयोजित की जाएगी।
- उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत **6 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे** तक प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है।
- **6 सितंबर 2025 को निर्धारित समय के बाद प्रवेश मान्य नहीं होंगे।**

Digitally signed by
Prabal Sepaha
Date: 29-08-2025
19:05:18

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
- 2- निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 3- कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश
- 4- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.
- 5- प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय म.प्र.

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.